भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1969

11 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: कर्नाटक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कार्य निष्पादन

1969. डॉ. के. सुधाकर:

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के अंतर्गत कर्नाटक सहित देश में बीमा कंपनियों द्वारा कुल कितनी राशि के दावे का भुगतान किया गया है;

(ख) क्या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों के लिए दावों के निपटान में कोई विलंब हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों के प्रीमियम घटक को कम करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त योजना के अंतर्गत कर्नाटक के चिक्काबल्लापुर जिले के किसानों को क्या लाभ हुए है;

(ङ) इस योजना का पुष्पकृषि और डेयरी क्षेत्रों जैसे अन्य क्षेत्रों तक विस्तार करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(च) पुष्पकृषि क्षेत्र के लिए मौजूदा बीमा योजनाओं का ब्यौरा क्या है और इसके अंतर्गत चिक्काबल्लापुर जिले हेतु नामांकित किसानों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) एवं (ख): वर्ष 2016-17 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) की शुरुआत से लेकर 2023-24 तक, 31.01.2025 तक की स्थिति के अनुसार, कर्नाटक राज्य सहित देश भर में 19.68 करोड़ किसान आवेदनों को 1,73,609 करोड़ रुपये के कुल दावों का भुगतान किया गया है।

अधिकांश दावों का निपटान बीमा कंपनियों द्वारा योजना के प्रचालनात्मक दिशा-निर्देशों के तहत निर्धारित समय-सीमा के भीतर किया जाता है। हालांकि, पीएमएफबीवाई के कार्यान्वयन के दौरान, बीमा कंपनियों के विरुद्ध दावों का भुगतान न करने और/या देरी से भुगतान करने, बैंकों द्वारा बीमा प्रस्तावों को गलत/देरी से प्रस्तुत करने के कारण दावों का कम भुगतान करने, उपज के आंकड़ों में विसंगति और इसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार और बीमा कंपनियों के बीच विवाद, राज्य सरकार के हिस्से का फंड प्रदान करने में देरी, बीमा कंपनियों द्वारा पर्याप्त कर्मियों की तैनाती न करने आदि के बारे में कुछ शिकायतें पहले प्राप्त हुई थीं, जिन्हें योजना के प्रावधानों के अनुसार उचित रूप से दूर कर दिया गया था।

चूंकि यह योजना राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित की जाती है, इसलिए बीमित किसानों के दावों से संबंधित शिकायतों सहित परिवेदनों शिकायतों को हल करने के लिए, योजना के संशोधित प्रचालनात्मक दिशा-निर्देशों में स्तरीकृत शिकायत निवारण तंत्र अर्थात जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति (डीजीआरसी), राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति (एसजीआरसी) का प्रावधान किया गया है। इन समितियों को प्रचालनात्मक दिशा-निर्देशों में उल्लिखित विस्तृत अधिदेश दिए गए हैं, ताकि परिवेदनों शिकायतों की सुनवाई की जा सके और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उनका निपटान किया जा सके।

(ग): पीएमएफबीवाई के तहत कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा बीमांकिक/बोली प्रीमियम दरें लगाई जाती हैं। पूरे देश में सीजन के लिए किसानों से बेहद कम प्रीमियम दर लगाई जाती है, जो खरीफ फसलों के लिए बीमित राशि का अधिकतम 2%, रबी फसलों के लिए बीमित राशि का अधिकतम 1.5% और वाणिज्यिक/बागवानी फसलों के लिए बीमित राशि का अधिकतम 5% है। बीमांकिक प्रीमियम का शेष हिस्सा केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 50:50 के आधार पर साझा किया जाता है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों (खरीफ 2020 से) और हिमालयी राज्यों (खरीफ 2023 से) में जहां इसे 90:10 के अनुपात में साझा किया जाता है। इसके अलावा, योजना के प्रचालनात्मक दिशानिर्देशों में मानक पीएमएफबीवाई के अलावा 3 वैकल्पिक जोखिम ट्रांस्फर मॉडल का प्रावधान हैं, अर्थात् कप और कैप मॉडल (80:110), कप और कैप मॉडल (60:130) और लाभ एवं नुकसान शेयरिंग मॉडल फिलहाल, योजना के तहत प्रीमियम संरचना को संशोधित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(घ): देश में खरीफ 2016 सीजन से शुरू की गई पीएमएफबीवाई राज्यों के साथ-साथ किसानों के लिए भी स्वैच्छिक है। इस योजना के तहत किसानों को बहुत ही न्यूनतम प्रीमियम पर फसलों की बुवाई पूर्व से लेकर कटाई के बाद तक सभी गैर-रोकथाम योग्य प्राकृतिक जोखिमों के विरूद्ध फसलों के लिए व्यापक जोखिम कवरेज प्रदान किया जाता है। इस योजना के प्रावधान/लाभ राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों में इच्छुक किसानों के लिए लागू हैं।

(ड.) एवं (च): पीएमएफबीवाई में सभी खाद्य फसलों (अनाज, मिलेट्स और दलहन), तिलहन और वाणिज्यिक/बागवानी फसलों को शामिल करने की परिकल्पना की गई है, बशर्ते कि फसल कटाई प्रयोगों (सीसीई) के आधार पर अपेक्षित वर्षों के पिछले उपज आंकड़ों की उपलब्धता हो और साथ ही दावों की गणना के लिए फसल की उपज का आकलन करने हेतु अपेक्षित संख्या में सीसीई आयोजित करने की राज्य सरकार की क्षमता हो। हालांकि, विशिष्ट फसल को संबंधित राज्य सरकार द्वारा पूर्वोक्त प्रावधान को ध्यान में रखते हुए अधिसूचित किया जाता है। पूर्वोक्त शर्तों को पूरा नहीं करने वाली फसलों के लिए, संबंधित राज्य सरकार उन्हें पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस) के तहत कवरेज के लिए अधिसूचित करने के लिए स्वतंत्र है, जिसके तहत मौसम सूचकांक मापदंडों के आधार पर दावों के भुगतान का ढांचा तैयार किया जा रहा है।

फूलों की खेती और डेयरी फार्मिंग को पीएमएफबीवाई के तहत कवर नहीं किया गया है। जैसा कि कर्नाटक राज्य सरकार ने जानकारी दी है, वर्तमान में चिक्काबल्लापुर जिले में फूलों की खेती के लिए कोई बीमा योजना नहीं है।

*****